गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) इस अवधि के दौरान रक्षा सेनाओं तथा नागा विद्रोहियों के बीच दो झड़पे हुईं और ये दोनों ही मनीपुर क्षेत्र में हुईं।

(ख) तीन नागा विद्रोही तथा तीन रक्षा कर्मचारी मारे गये। संपत्ति का कोई नुक्सान नहीं हुआ।

(ग) 25 व्यक्तियों का अपहरण हुआ।

(घ) सबंधित राज्य सरकारें नागाओं द्वारा की जाने वाली गैर-कानूनी कार्यवाहियों को रोकने तथा नागरिकों के जान माल के संरक्षण के लिये आवश्यक उपाय कर रही है। इसके इलावा हिंसा तथा युद्ध विराम समझौते के अन्तर्गत क्षेत्रों में उसके उल्लघन को रोकने के लिये शान्ति प्रेक्षकों के दल से भी सहायता ली जाती है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) There were two encounters, both in Manipur area, between the defence forces and the Naga hostiles during the period.

(b) Three Naga hostiles and three defence personnel were killed. There was no damage to property.

(c) Twenty-five persons were kidnapped.

(d) The State Governments concerned are taking necessary steps to prevent commission of unlawful acts by the Nagas and to protect life and property of citizens. In addition, the help of the Peace Observers' Group is sought to prevent acts of violence and breaches of Agreement on the Suspension of Operations in the areas covered by the Agreement.]

नागरिकों की शिकायतों को दूर करना

166. **श्री निरंजन वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागरिकों की शिकायतों को दूर करने की समस्याओं पर प्रशासनिक सुधार आयोग की जो अन्तिम रिपोर्ट मिली है, उसको अमल में लाने के लिये क्या सरकार कोई कदम उठाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

†[REDRESS OF CITIZENS' GRIEVANCES

166. SHRI NIRANJAN VARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to take steps to implement the interim report of the Administrative Reforms Commission dealing with the problems of redressing the grievances of the citizens; and

(b) if so, by when this work is likely to be completed?]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) इस बारे में 18 मार्च, 1967 को दिये गये राष्ट्रपति के अभिभाषण के अनुच्छेद 14 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन के बारे में वर्तमान स्थिति दी गई है।

†[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): (a) and (b). Attention is invited to paragraph 14 of the President's address to Parliament on the 18th March, 1967, which states the present position in regard to the interim report of the Commission.]

† [ ] English translation.